न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 16/170

महावीर प्रसाद आत्मज बद्रीलाल जाति ब्राह्मण निवासी मोहनपुरा तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी ।

---अपीलान्ट

बनाम

1. रामस्वरूप आत्मज करणा गुर्जर निवासी कल्याणीखेडा तहसील नैनवा जिला बून्दी।
2. मदन लाल आत्मज हरनाथ गुर्जर निवासी कल्याणीखेडा तहसील नैनवा जिला बून्दी।
3. जगदीश आत्मज गोपाल गुर्जर निवासी कल्याणीखेडा तहसील नैनवा जिला बून्दी।
4. तहसीलदार साहब, नैनवा जिला बून्दी ।

---रेस्पोडन्ट

उपस्थित :– 1. श्री रामदत्त शर्मा, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।

निर्णय दिनांक: 23.07.2019

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, बून्दी जिला बून्दी द्वारा पारित आदेश दिनांक 14.07.2015 के विरूद्ध पेश की गई है ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि प्रार्थीगण रेस्पोडेन्ट क्रम 1 से 3 ने अधीनस्थ न्यायालय में एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 (4) भू–आवंटन अधिनियम का पेश कर कथन किया कि ग्राम कल्याणीखेडा तहसील नैनवा जिला बून्दी की आराजी खसरा नम्बर 75 रकबा 13 बीघा 16 बिस्वा भूमि अप्रार्थी क्रम 1 को दिनांक 26.05.1981 को आवंटन हुई थी । उक्त भूमि पर आवंटी का कब्जा काश्त नहीं है । उक्त भूमि पर प्रार्थीगण का कब्जा काश्त चला आ रहा है । इस बात की रिपोर्ट हल्का पटवारी ने भी की है जो प्रार्थना पत्र आवंटन का पेश हुआ है उसमें भी अप्रार्थी क्रम 1 का कोई कब्जा नहीं बता रखा है । उक्त भूमि को प्रार्थीगण व उनके पिता ने काबिल काश्त बनाया है ।

3. अतः आवंटी के पक्ष के किये गये आवंटन दिनांक 26.05.1981 को निरस्त फरमाया जावे ।

4. अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 14.07.2015 के द्वारा प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए अप्रार्थी क्रम 1 के पक्ष में किये गये आवंटन आदेश दिनांक 26.05.1981 को निरस्त कर दिया ।

5. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन आदेश दिनांक 14.07.2015 से व्यथित होकर अप्रार्थी क्रम 1 अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर कथन किया कि आवंटन सलाहकार समिति ने नियमानुसार उक्त भूमि अपीलान्ट को आवंटित की है । आवंटन के दिनांक से ही आवंटी अपीलान्ट का उक्त भूमि पर कब्जा काश्त चला आ रहा है । अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को विधिवत रूप से नोटिस तामील करवाये बिना उक्त अपीलाधीन निर्णय पारित किया है । अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना ही उक्त अपीलाधीन आदेश पारित किया है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा त्रुटिपूर्ण रूप से प्रार्थीगण रेस्पोडेन्ट का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया है । रेस्पोडेन्ट का उक्त भूमि से किसी प्रकार का कोई सम्बन्ध नहीं है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 14.07.2015 निरस्त फरमाया जावे ।

6. अपीलान्ट ने अपील के साथ एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का पेश कर कथन किया कि अपीलान्ट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश की कोई जानकारी नहीं थी । अपीलान्ट को उक्त अपीलाधीन निर्णय की सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 10.03.2016 को पटवारी हल्का से हुई जिस पर उक्त अपीलाधीन आदेश की नकल प्राप्त कर यह अपील न्यायालय हाजा में पेश की गई है । अतः जानकारी के अभाव में अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जावे ।

7. अपील अपीलान्ट सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । रेस्पोडेन्ट बावजूद सूचना के उपस्थित नहीं आने से अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी गई ।

8. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराते हुए निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 75 रकबा 13 बीघा 16 बिस्वा वाके ग्राम कल्याणीखेडा तहसील नैनवा जिला बून्दी में स्थित है । उक्त भूमि अपीलान्ट को आवंटित की गई थी । उक्त आवंटन को निरस्त करवाने हेतु रेस्पोडेन्ट क्रम 1 से 3 ने अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था । अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 14.07.2015 को निर्णय पारित करते हुए अपीलान्ट के पक्ष में किये गये आवंटन आदेश को निरस्त कर दिया । अपीलान्ट को उक्त भूमि का आवंटन नियमानुसार दिनांक 26.05.1981 को आवंटन सलाहकार समिति द्वारा किया गया था । इस कार्यवाही में अपीलान्ट को कोई नोटिस प्राप्त नहीं हुआ न ही अपीलान्ट की विधि सम्मत रूप से कोई तामील हुई है । उक्त अपीलाधीन निर्णय अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना पारित किया गया है जो न्याय के प्राकृति सिद्धान्तों के विपरीत होने से निरस्तनीय है । अधीनस्थ न्यायालय में अपीलान्ट की तामील मकान पर चश्पा किया जाना बताया है परन्तु गवाहों के पूरे नाम व पते अंकित नहीं हैं । अपीलान्ट वादग्रस्त आराजी पर निरन्तर काबिज काश्त है । खसरा गिरदावरी संवत् 2055–57 में अपीलान्ट की फसल

अंकित है । इसके साथ ही खसरा गिरदावरी संवत् 2068 में भी प्रार्थी द्वारा फसल किया जाना अंकित किया है । रिपार्ट हल्का पटवारी की की छाया प्रति के आधार पर अपीलान्ट का कब्जा नहीं माना गया है । रिपोर्ट अपीलान्ट की अनुपस्थिति में तैयार की गई है । आवंटन नियमानुसार किया गया था सन् 1981 में किये गये आवंटन को सन् 2015 में गलत रूप से खारिज किया है जबकि इतने पुराने आवंटन को (Fraud and Misrepresentation) के आधार पर ही किया जा सकता है । इन समस्त तथ्यों के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 14.07.2015 निरस्त फरमाया जावे । उन्होंने अपने कथनों के समर्थन में आरआरडी 1987 पेज 448, आरआश्रउी 2010 पेज 78, आरआरडी 2009 पेज 99, आरआरडी 1994 पेज 87, आरआरडी 1986 पेज 595, आरआरडी 1973 पेज 566 उद्धरत की ।

9. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस पर मनन किया । हमने सर्वप्रथम अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का अवलोकन किया । अपीलान्ट ने अपने प्रार्थना पत्र में विलम्ब के जो कारण बताए हैं वे उचित प्रतीत होते हैं । अतः न्यायाहित में अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जाता है ।

10. अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थी रेस्पोडेन्टगण क्रम 1 से 3 ने नियम 14 (4) के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कथन किया था कि वादग्रस्त आराजी पर प्रार्थीगण का कब्जा काश्त है । आवंटी का कब्जा काश्त नहीं है । इस कारण आवंटन खारिज किया जावे । इस प्रार्थना पत्र के साथ आवंटन आदेश की प्रति एवं पटवारी हल्का की रिपोर्ट दिनांक 30.12.2014 की फोटो प्रति संलग्न की गई है । उक्त पटवारी हल्का की रिपोर्ट दिनांक 30.12.2014 के अनुसार मौके पर ग्रामवासियों ने बताया कि काफी वर्षों से आराजी पर प्रार्थीगण का कब्जा है इसके अलावा अन्य कोई दस्तावेज पत्रावली पर संलग्न नहीं हैं ।

11. अपीलान्ट के द्वारा अपील के साथ कुछ खसरा गिरदावरी की नकलें पेश की गई हैं । नकल खसरा गिरदावरी संवत् 2055 में वादग्रस्त आराजी को अपीलान्ट की गैर खातेदारी में बताया गया है और उसमें सरसों की फसल किया जाना बताया गया है । इसी प्रकार नकल खसरा गिरदावरी संवत् 2056 एवं 2057 में अपीलान्ट को गैर खातेदार बताया गया है और उक्त भूमि पर सरसों की फसल किया जाना अंकित है । इसी प्रकार नकल खसरा गिरदावरी (चतुवर्षीय) संवत् 2067 से 2070 में भी आराजी काश्त किया जाना अंकित किया गया है ।

12. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रेस्पोडेन्टगण के प्रार्थना पत्र के आधार पर वादग्रस्त आराजी पर अपीलान्ट का कब्जा नहीं होने के आधार पर आवंटन निरस्त किया है और आवंटन निरस्त करने का आधार पटवारी हल्का की रिपोर्ट को माना है । पटवारी हल्का की यह रिपोर्ट किनके के आदेश से तैयार की गई है, यह रिपोर्ट में अंकित नहीं है । यह रिपोर्ट अपीलान्ट की उपस्थिति में भी तैयार नहीं की गई है । खसरा गिरदावरी में खातेदार का नाम ही अंकित किया जाता है । ऐसी स्थिति में पटवारी हल्का को यह रिपार्ट करने का अधिकार नहीं है, कि

वादग्रस्त आराजी पर वर्षों से किसी अन्य का कब्जा है क्योंकि ऐसी रिपोर्ट करने का कोई आधार (दस्तावेज) उनके पास नहीं है । खसरा गिरदावरी के अनुसार वादग्रस्त आराजी पर फसल की जा रही है । आवंटी के द्वारा आवंटन शर्तो की पालना की गई अथवा नहीं, इसके लिए आवंटन के तुरन्त पश्चात् के 02 वर्षों की खसरा गिरदावरी को देखा जाना अनिवार्य होता है । इसके अनुसार संवत् 2039 और 2040 की खसरा गिरदावरी का अवलोकन करने के उपरान्त ही यह निर्णय किया जा सकता है कि आवंटी के द्वारा आवंटन शर्तों की पालन की गई है अथवा नहीं । रेस्पोडेन्टगण प्रार्थी स्वयं को अतिक्रमी बताते है और अतिक्रमी व्यक्ति को आवंटन आदेश को चैलेंज करने का कोई अधिकार लोकस–स्टेण्डाई (Locus standie) नहीं होता है । सन् 1981 के आवंटन को सन् 2015 में लगभग 34 वर्ष बाद निरस्त किया गया है जो विधि– विरूद्ध है । ऐसे आवंटन को आवंटी द्वारा कपट एंव मिथ्यापूर्ण कथन से आवंटन करवाया जाना प्रमाणित होने पर ही खारिज किया जा सकता है अन्यथा नहीं ।

13. यहॉ यह भी उल्लेखनीय है कि अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा अपीलान्ट की तामील चस्पानगी से किया जाना अंकित किया गया है और गवाहों के पूरे नाम, पते अंकित नहीं किये हैं । इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को सुनवाई का समुचित अवसर भी प्रदान नहीं किया है जो न्याय के प्राकृतिक सिद्धान्तों के विपरीत है । विद्धान अभिभाषक अपीलान्ट के द्वारा उद्धरत नजीर आरआरडी 2009 पेज 99, आरआरडी 1994 पेज 87, आरआरडी 1973 पेज 566 यहॉ चस्पा होती हैं ।

14. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 14.07.2015 निरस्त किया जाता है ।

15. निर्णय आज दिनांक 23.07.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

23/7/19

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा